न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 06/2018

अनवान :

दीपाराम पुत्र श्री मोटाराम जाति जाट निवासी गांव जोधावास ग्राम पंचायत कांजस तहसील राजगढ हाल ग्राम जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्त करवाने।

अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

उपस्थिति : वकील श्री दलवीर बैनीवाल **: प्रार्थी**

निर्णय **दिनांक:** 9.6.18

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की दादालाई कृषि भूमि चक 5 एमआरएन के खाता सं0 151/136 के मु0नं0 44, 45, 66, 67 की कुल 5.5150 है0 नहरी 2.5300 है0 बारानी 2.8470 है0 ख़ाला 0.1380 है0 में माईधन, भगवाना, शिशपाल पि0 मोटाराम बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा चक 4 एमआरएन के खाता सं0 70/71 मु0नं0 62, 63, 69 की कुल 1.6960 है0 नहरी 1.6330 है0 खाला 0.0630 है0 में माईधन, भगवाना, शिशराम पि0 मोटाराम 1/3 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त दोनों खातों की खातेदारी नहरी व बारानी कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम शिशपाल पुत्र मोटाराम दर्ज हो गया है। प्रार्थी का सही नाम दीपाराम पुत्र मोटाराम है तथा राजस्व अधिकारियों ने सहबन से शिशपाल पुत्र मोटाराम दर्ज कर दिया है। शिशराम पुत्र मोटाराम के स्थान पर दीपाराम पुत्र मोटाराम दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होती है। प्रार्थी इस गलती को सुधारना चाहता ताकि प्रार्थी दीपाराम के वारिसान को भविष्य में किसी भी प्रकार की उतराधिकार आदि बाबत कोई समस्या ना हो।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम दीपाराम पुत्र मोटाराम है, राजस्व अधिकारियों ने सहबन से शिशपाल पुत्र मोटाराम दर्ज कर दिया है। इस प्रकार वादी का नाम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने चक 5 एमआरएन के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो चित्रप्रति परिवार राशन

कार्ड, चित्रप्रति वोटर आई कार्ड, चित्रप्रति आधार कार्ड, चित्रप्रति अंकतालिका, चित्रप्रति बैंक पास बुक, चित्रप्रति पेनकार्ड पेश किये है उनमें प्रार्थी का नाम दीपाराम अंकित है। एवं सरपंच ग्राम पचायत कांजण तहसील राजगढ़ जिला चूरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया है। परन्तु प्रस्तुत उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थी दीपाराम व शिशपाल दोनों एक ही व्यक्ति है, ऐसा साबित नहीं हो पाया है। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहा है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ